



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12102020-222382  
CG-DL-E-12102020-222382

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 515]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 12, 2020/आश्विन 20, 1942

No. 515]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 12, 2020/ASVINA 20, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्टूबर, 2020

सं. 96 /2020 - सीमाशुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 629(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 की उप-धारा (34) के साथ पठित धारा 4 की उपधारा (1) और धारा 5 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमाशुल्क बोर्ड, एतद् द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 50/2020-सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020, जिसे सा.का.नि 352(अ), 5 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा:-

1. उक्त अधिसूचना में, सारणी में,-

i. क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (3) में, मद (क) के बाद, निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा:-

“(ख) धारा 149 (सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 47 या धारा 68 के अंतर्गत माल के क्लियरेंस के आदेश को जारी करने के पहले या सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 60 के अंतर्गत उसको हटाकर ले जाने की अनुमति के आदेश को जारी करने के पहले, जैसी भी स्थिति हो);”.

2. यह अधिसूचना सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[फा. स. 450/26/2019 – सीमाशुल्क IV(पार्ट)]

राधाकृष्णन आनंद, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2020- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 5 जून, 2020, सा. का. नि. 352 (अ), दिनांक 5 जून, 2020 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित की गयी थी।

**MINISTRY OF FINANCE**

**(Department of Revenue)**

**(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 12th October, 2020

**No. 96 /2020-Customs (N.T.)**

**G.S.R. 629(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 and sub-section (1) of section 5, read with sub-section (34) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs hereby, makes the following amendments in the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, (Department of Revenue) No.50/2020-Customs (N.T.) dated the 5<sup>th</sup> of June, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 352(E) dated 5<sup>th</sup> June, 2020, namely :-

1. In the said notification, in the Table,-

i. against serial number 1, in column (3), after item (a), the following item shall be inserted, namely :-

“(b) Section 149 (before grant of order for clearance of goods under section 47 or section 68 of the Customs Act, 1962 or before grant of order permitting removal under Section 60 of the Customs Act, 1962, as the case may be);”.

2. This notification shall come into force on the date of publication in the Official Gazette.

[F. No 450/26/2019-Cus. IV (Pt)]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

**Note:** The principal notification number 50/2020-Customs (N.T.), dated the 5th of June, 2020, published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide number G.S.R. 352(E) dated the 5th of June, 2020.